कार्यालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

क्रमांक / रूपा0 / 13 / 55 दिनांक:- 03 / 01 / 2013

संपरिवर्तन आदेश

रीजनल सेवा समिति शाकम्बरी रोड उदयपुरवाटी जरिये सचिव जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा ग्राम बागोरा की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 335 रकबा 0.80 है0 में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू– राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम् 2011 के नियम 9 जी के पार्ट । के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्ठियां नीचे दी गई है।–

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता / पति के नाम सहित तथा पूरा पता	रीजनल सेवा समिति शाकम्बरी रोड उदयपुरवाटी जरिये सचिव जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झ
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	–
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्योराः (क) ग्राम / ग्राम पंचायत / तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा सख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम बागोरा ग्राम पंचायत बागोरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू खसरा नम्बर 335 रकबा 0.80 है0 खसरा नम्बर 335 रकबा 0.80 है0 में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
	टिप्पणीः– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई पिमीयम की रकम	चालान संख्या 297 दिनांक 3.1.13 के द्वारा प्रिमियम 12500/– रूपये जमा
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्ठियां यदि कोई हो	नहीं

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)

10	उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :— (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा। (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालाअवधि के भीतर संपरितर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहत कर ली जायेगी औरिआवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा। (3) नियम –4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिय नहीं किया जायेगा। (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार उदयपुरवाटी जयपुर सड़क से घाट से पणियारावास के मध्य से निर्धारित 15 मीटर दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी। (6) निकटस्थ नगरपालिका/ ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी। (7) राजस्व विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा– निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा। (8) राज्य सरकार के निर्देशानुसार भवन निर्माण के अतिरिक्त अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए भूमि छोड़नी होगी।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

क्रमांक / रूपा0 / 13 / / 8 - 22

दिनांक:— 02 / 01 / 2013

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू
2. तहसीलदार/ उपपंजियक उदयपुरवाटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग उदयपुरवाटी
4. सरपंच ग्राम पंचायत बागोरा
5. [illegible] रोड उदयपुरवाटी जरिये सचिव जगदीश प्रसाद पुत्र चुन्नीलाल जाति माली निवासी [illegible] उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

आज दिनांक 09/01/2013 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 279
में पृष्ठ संख्या 72 क्रम संख्या 2013000138 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 663
के पृष्ठ संख्या 179 से 186 पर
चस्पा किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

(2013000176) उप पंजीयक UDAIPURVATI
(LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))

राजस्थान सरकार
कार्यालय जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प12(3)(141)राज/2013/23 — दिनांक – 10/7/2015

संपरिवर्तन आदेश

आवेदक रीजनल सेवा समिति शाकम्भरी सेड उदयपुरवाटी जरिये सचिव, जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी ने अपने स्वयं की खातेदारी कृषि भूमि ग्राम बागोरा, ग्राम पंचायत बागोरा तहसील उदयपुरवाटी स्थित ख0न0 335 रकबा 0.80 है0 किस्म बारानी–3 में से 0.55 है0 (5500 व0मी0) भूमि का संस्थागत प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिये आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू–राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9(2) एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ6(5)रेवे–[illegible]–92/पीटी/8 दिनांक 26.4.2011 के अधीन अकृषिक (शैक्षणिक) प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है:–

1.	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	रीजनल सेवा समिति शाकम्भरी सेड उदयपुरवाटी जरिये जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चुन्नीलाल जाति माली निवासी बागोरा तहसील उदयपुरवाटी
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है	नहीं
3.	संपरिवर्तन भूमि का ब्यौराः (क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम बागोरा, ग्राम पंचायत बागोरा तहसील उदयपुरवाटी
	(ख)भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)	खसरा संख्या 335 रकबा 0.80 है0
	(ग) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल सपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	खसरा संख्या 335 रकबा 0.80 है0 में से 0.55 है0 (5500 व0मी0)
	टिप्पणी :– अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4.	संपरिवर्तन का प्रयोजन	संस्थागत प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमीयम की रकम	चालान संख्या 53 दिनांक 3–7–15 राशि 87,560/–रू0
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
7.	चलान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शून्य
8.	क्या आदेश नियमितिकरण के अधीन जारी किया गया है	नहीं
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

उप पंजियक, उदयपुरवाटी

10 | उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा:-

(1) इण्डियन रोड कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार सड़क के मध्य से सड़क मार्गाधिकार हेतु छोड़ने के पश्चात ही निर्माण करेगा । तथा आवेदक द्वारा आवेदित भूमि तक निर्धारित प्रतिमानों के अनुरूप विधिवत पहुंच मार्ग सुनिश्चित किया जावे।

(2) यदि प्रार्थी नेशनल हाईवे से रास्ता चाहते है तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग से अनुमति लेनी होगी। यदि सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा संधारित सड़क से रास्ता चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग से अनुमति लेनी होगी ।

(3) निकटस्थ नगरपालिका/स्थानीय निकाय की उपविधियों की पालना करनी होगी एवं निर्धारित माप दण्डों के अनुसार निर्माण कराया जावेगा।

(4) राजस्व विभाग के परिपत्र प.6(6)राज-6/92 पार्ट दिनांक 17-7-2007 तथा अग्नि शमन हेतु नगरीय विकास विभाग के परिपत्र दिनांक 24-10-07 के निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे स्थानीय प्रशासन से उक्त परिपत्र के अनुसार नक्शा अनुमोदित कराकर ही निर्माण कार्य कराया जावेगा। अग्निशमन संबंधी सुरक्षा मानदण्डों की पालना की जावेगी।

(5) शिक्षण संस्था हेतु मॉडल भवन विनियम 2010(संशोधित) में वर्णित सभी बिन्दुओं की पालना सुनिश्चित की जावे ।

(6) कुल भूमि का 40 प्रतिशत भू-भाग सार्वजनिक सुविधाओं के लिए आरक्षित रखना होगा। प्रस्तावित स्थल से पानी के निकास एवं वर्षा जल संग्रहण हेतु संरचना का निर्माण किया जावेगा।

(7) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 5 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।

(8) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/परिपत्र एवं दिशा-निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।

(9) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(11) नियम-4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।

(12) उपरोक्त शर्तों की पालना करने का दायित्व आवेदक का होगा । शर्तों का उल्लंघन होने पर आदेश निरस्त कर दिया जावेगा।

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

क्रमांक प. 12(3)(141)राज/2013/27

दिनांक : 10/7/2015

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. प्रभारी अधिकारी, जिला राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट झुझुनू।
2. उप खण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी।
3. तहसीलदार/उप पंजीयक उदयपुरवाटी।
4. ...निक निर्माण विभाग, उपखण्ड उदयपुरवाटी।
5. ... उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
6. ... जरिये जगदीश प्रसाद पुत्र श्री चुन्नीलाल ...ील उदयपुरवाटी।

आज दिनांक 30/07/2015 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 325
के पृष्ठ संख्या 46 क्रम संख्या 2015001177 पर
पंजिबद्ध किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 846
के पृष्ठ संख्या 243 से 252 पर
चस्पा किया गया।

(सलविन्द्र सिंह सोहता)
जिला कलेक्टर, झुन्झुनू

(2015002540) उप पंजीयक, UDAIPURVATI
(Order of Land Use Change)